

डॉ० अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा और सामाजिक परिवर्तन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अखिलेश कुमार¹, डॉ० स्मिता सिंह²

¹शोधार्थी, महिला महाविद्यालय, बस्ती (उ०प्र०)

²एसोसिएट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय, बस्ती (उ०प्र०)

Received: 21 July 2026, Accepted: 25 July 2026, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2026

Abstract

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद्, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री तथा भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने शिक्षा को केवल साक्षरता या ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान, समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना का सर्वाधिक प्रभावी साधन माना। उनका प्रसिद्ध आह्वान “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” आज भी सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का प्रेरणास्रोत है।¹ डॉ. अम्बेडकर का स्पष्ट मत था कि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा को उन्होंने वंचित, शोषित एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान का मूल आधार माना। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा तथा उसके सामाजिक परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन में उनके शैक्षिक दर्शन, सामाजिक न्याय की अवधारणा, समतामूलक समाज की स्थापना, महिला शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा समावेशी शिक्षा संबंधी विचारों का समालोचनात्मक विवेचन किया गया है। शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें डॉ. अम्बेडकर के मूल ग्रंथों, भारतीय संविधान, सरकारी दस्तावेजों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पुस्तकों तथा शोध-पत्रों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई है।² अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय उपकरण माना। उनके अनुसार शिक्षित समाज ही सामाजिक कुरीतियों, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, लैंगिक असमानता तथा आर्थिक विषमता को समाप्त कर लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। समकालीन भारत में समावेशी शिक्षा, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सामाजिक न्याय की अवधारणाएँ उनके शैक्षिक चिंतन को और अधिक प्रासंगिक बनाती हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा आज भी एक समतामूलक, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण हेतु मार्गदर्शक सिद्ध होती है।

मुख्य शब्द— डॉ. भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा, शिक्षा दर्शन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, समावेशी शिक्षा, लोकतंत्र, समानता।

¹ अम्बेडकर, भीमराव डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : लेखन एवं भाषण, खंड-17. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, 2003.

² शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020- नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 2020।

Introduction

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (14 अप्रैल 1891–6 दिसंबर 1956) आधुनिक भारत के प्रमुख राष्ट्रनिर्माताओं, समाज सुधारकों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों तथा भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकारों में अग्रगण्य हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का अनुभव किया, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त भी बन सकता है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और मानव मुक्ति का मूल आधार माना।³

डॉ. अम्बेडकर का प्रसिद्ध संदेश “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” केवल एक प्रेरक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का व्यावहारिक दर्शन है। उनका मत था कि शिक्षा व्यक्ति में आत्मसम्मान, तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा लोकतांत्रिक चेतना का विकास करती है। शिक्षित समाज ही सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव तथा असमानता का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर सकता है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना।⁴

डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक चिंतन समान अवसर, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों तथा समावेशी विकास पर आधारित था। उनका विश्वास था कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता उसके नागरिकों की शिक्षा, जागरूकता और नैतिक चेतना पर निर्भर करती है। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करे तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करे। उनके विचारों में शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय विकास का आधार है।⁵

वर्तमान समय में जब भारत समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर है, तब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक विचार और अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। समान अवसर, सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता, कौशल विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संवैधानिक चेतना पर आधारित शिक्षा की अवधारणा उनके चिंतन से गहरा साम्य रखती है। इसलिए उनके शिक्षा-दर्शन का अध्ययन केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि समकालीन शैक्षिक एवं सामाजिक चुनौतियों के समाधान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।⁶

प्रस्तुत शोध-पत्र में डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन क्यों माना। साथ ही उनके शैक्षिक विचारों की वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा

³ अम्बेडकर, भीमराव डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : लेखन एवं भाषण, खंड-17. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, 2003।

⁴ अम्बेडकर, भीमराव, जाति का विनाश (Annihilation of Caste). नई दिल्ली, नवयाना पब्लिशिंग, पुनर्मुद्रित संस्करण, 2014.

⁵ भारत सरकार. भारत का संविधान. नई दिल्ली, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1950।

⁶ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020. नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 2020।

लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में प्रासंगिकता का समालोचनात्मक अध्ययन भी किया गया है। **अध्ययन के उद्देश्य**

1. डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा का अध्ययन करना।
2. शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।
3. सामाजिक न्याय की स्थापना में शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन करना।
4. वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन गुणात्मक प्रकृति का है तथा पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं विश्लेषणात्मक शोध-दृष्टिकोण का समन्वित रूप से उपयोग किया गया है।⁷

शोध के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन डॉ. अम्बेडकर के मूल ग्रंथों, Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches के विभिन्न खंडों, भारतीय संविधान, भारत सरकार के आधिकारिक प्रकाशनों, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020", विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं शिक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों, प्रकाशित पुस्तकों, शोध-पत्रों, शोध-प्रबंधों तथा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं से किया गया है। साथ ही, विषय से संबंधित प्रामाणिक अकादमिक साहित्य एवं संदर्भ सामग्री का भी अध्ययन किया गया है।⁸

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक पद्धति के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों, शिक्षा-दर्शन तथा सामाजिक परिवर्तन संबंधी अवधारणाओं का क्रमबद्ध प्रस्तुतीकरण किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा उनके विचारों की समकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय, समावेशी शिक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में समीक्षा एवं व्याख्या की गई है। आवश्यकतानुसार तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का भी उपयोग किया गया है, जिससे उनके विचारों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जा सके।

इस प्रकार, उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों के समालोचनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा तथा उसके सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव का वस्तुनिष्ठ एवं अकादमिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का शिक्षा-दर्शन भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वास्तविकताओं पर आधारित था। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण

⁷ पाण्डेय, रामशकल. (2019), शिक्षा में अनुसंधान की विधियाँ. आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।

⁸ मून, वसंत (सम्पा.). (1979-2003). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: लेखन एवं भाषण, खंड 1-17. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020. नई दिल्ली।

विकास, आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का सशक्त साधन बताया। उनके अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति में विवेक, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना है। वे मानते थे कि जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग, विशेषकर वंचित एवं शोषित समुदाय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़कर आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता अधूरी रहेगी। उनके प्रसिद्ध आह्वान “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” में शिक्षा को सामाजिक मुक्ति और आत्मसम्मान की पहली शर्त के रूप में स्थापित किया गया है।⁹

i. शिक्षा : आत्मसम्मान का आधार

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है तथा उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना विकसित करती है। उनका विचार था कि अशिक्षा व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से निर्भर बना देती है, जबकि शिक्षा उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाकर अन्याय एवं शोषण का प्रतिरोध करने की क्षमता प्रदान करती है। विशेष रूप से दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने शिक्षा को आत्मसम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रभावी साधन माना। उनके अनुसार शिक्षित व्यक्ति केवल स्वयं का विकास नहीं करता, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक भी बनता है।¹⁰

ii. शिक्षा : सामाजिक समानता का माध्यम

डॉ. अम्बेडकर के विचार में भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत, सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। उनका विश्वास था कि समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करती है और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। उन्होंने शिक्षा के लोकतंत्रीकरण पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक समावेशन, समान अवसर और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की आधारशिला है।¹¹

iii. शिक्षा : लोकतंत्र की आधारशिला

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की एक नैतिक व्यवस्था माना। उनके अनुसार लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक शिक्षित, विवेकशील, उत्तरदायी तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों। शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र चिंतन, तर्कशीलता, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व तथा नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का विकास करती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि लोकतंत्र के साथ सामाजिक और शैक्षिक समानता नहीं होगी, तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएँगी। इस दृष्टि से शिक्षा लोकतंत्र की स्थिरता और सुदृढ़ता का मूल आधार है।¹²

iv. महिला शिक्षा

⁹ अम्बेडकर, भीमराव, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : लेखन एवं भाषण, खंड-17. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, 2003।

¹⁰ अम्बेडकर, भीमराव . जाति का विनाश. नई दिल्ली, नवयाना पब्लिशिंग, 2014.

¹¹ रोज़िग्स, वैलेरियन (सम्पा.). डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : चयनित लेखन. नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008.

¹² भारत सरकार. भारत का संविधान. नई दिल्ली, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1950।

डॉ. अम्बेडकर महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति और उनकी शिक्षा के स्तर से किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, समान अधिकार और सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उनका विश्वास था कि शिक्षित महिला केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करती है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना तथा लैंगिक समानता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया।¹³

v. शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण

डॉ. अम्बेडकर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सामाजिक कुरीतियों तथा अवैज्ञानिक मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन, आलोचनात्मक विवेक तथा प्रमाण-आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिक चेतना से युक्त शिक्षित समाज ही सामाजिक बुराइयों, भेदभाव, शोषण और असमानता का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। उन्होंने शिक्षा को विवेकपूर्ण चिंतन, सामाजिक उत्तरदायित्व और आधुनिक राष्ट्र निर्माण का आधार माना।¹⁴

vi. शिक्षा और सामाजिक न्याय

डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना था। उनके अनुसार शिक्षा समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्गों को समान अवसर प्रदान करती है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ती है। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की वकालत की जो समावेशी, न्यायसंगत और सभी वर्गों के लिए समान रूप से सुलभ हो। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है तथा एक समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण संभव है।¹⁵

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक विकास की व्यापक अवधारणा पर आधारित थी। उनके विचार आज भी समावेशी शिक्षा, सामाजिक न्याय, समान अवसर, संवैधानिक मूल्यों तथा सतत सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।

शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक दर्शन का मूल आधार यह था कि समाज में स्थायी एवं सकारात्मक परिवर्तन केवल विधिक प्रावधानों या राजनीतिक सुधारों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए शिक्षा के माध्यम से सामाजिक चेतना, बौद्धिक विकास और नैतिक मूल्यों का निर्माण आवश्यक है। उनका मानना था कि अशिक्षा व्यक्ति को अज्ञान, रूढ़िवादिता, सामाजिक शोषण और आर्थिक पराधीनता में बाँधे रखती है, जबकि

¹³ मून, वसंत (सम्पा.). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : लेखन एवं भाषण, खंड-3. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, 1987।

¹⁴ ओमवेट, गेल. अम्बेडकर : प्रबुद्ध भारत की ओर. नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 2012.

¹⁵ जाटव, डी. आर. डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2015.

शिक्षा उसे स्वतंत्र चिंतन, आत्मसम्मान तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी एवं स्थायी साधन माना।¹⁶

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य केवल सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना नहीं, बल्कि ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त हो। उनके विचार में शिक्षा सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर लोकतांत्रिक, समतामूलक और मानवीय समाज की स्थापना का आधार बनती है। उनके सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं—

i. सामाजिक जागरूकता

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक चेतना और जागरूकता का विकास करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझता है और अन्याय, भेदभाव तथा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम बनता है। सामाजिक जागरूकता नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाती है तथा समाज में समानता और बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करती है।¹⁷

ii. समान अवसर

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, तो वह अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जीवन में प्रगति कर सकता है। उन्होंने जन्म, जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया और समान अवसर आधारित शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया।¹⁸

iii. आर्थिक सशक्तिकरण

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा आर्थिक उन्नति का आधार है। शिक्षित व्यक्ति बेहतर रोजगार, कौशल और उद्यमिता के अवसर प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। आर्थिक सशक्तिकरण व्यक्ति को गरीबी, शोषण और निर्भरता से मुक्त कर सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है।¹⁹

iv. लोकतांत्रिक भागीदारी

डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था कि लोकतंत्र की सफलता जागरूक एवं शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है। शिक्षा व्यक्ति में संवैधानिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सम्मान विकसित करती है, जिससे वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय एवं उत्तरदायी भागीदारी निभा सके। शिक्षित नागरिक लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।²⁰

v. सामाजिक न्याय

¹⁶ अम्बेडकर, भीमराव. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, लेखन एवं भाषण, खंड-17. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, 2003.

¹⁷ अम्बेडकर, भीमराव, जाति का विनाश. नई दिल्ली, नवयाना पब्लिशिंग, 2014.

¹⁸ जाटव, डी. आर. डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2015.

¹⁹ रीडिंग्स, वैलेरियन (सम्पा.). डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : चयनित लेखन. नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008.

²⁰ भारत सरकार. भारत का संविधान. नई दिल्ली, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1950.

डॉ. अम्बेडकर के संपूर्ण चिंतन का केंद्र सामाजिक न्याय था। उनके अनुसार शिक्षा समाज के वंचित, शोषित एवं उपेक्षित वर्गों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ती है। शिक्षा सामाजिक विषमताओं को कम करने तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने समावेशी और समानतामूलक शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक न्याय की आधारशिला माना।²¹

vi. मानवाधिकारों की रक्षा

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन का महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनका मत था कि शिक्षित व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। शिक्षा मानव गरिमा, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करती है और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करती है।²²

vii. आत्मनिर्भरता

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एवं स्वाभिमानी बनाती है। शिक्षित व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र जीवन जी सकता है। आत्मनिर्भर नागरिक न केवल अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान देते हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।²³

viii. नैतिक विकास

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को नैतिक एवं चारित्रिक विकास का भी प्रमुख साधन माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय संवेदनशीलता तथा संवैधानिक नैतिकता का विकास करना भी है। नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक आदर्शों और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ बना सकता है।²⁴

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर के लिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की केंद्रीय शक्ति थी। उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक चेतना, समान अवसर, आर्थिक आत्मनिर्भरता, लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा नैतिक विकास को सुनिश्चित करती है। समकालीन भारत में समावेशी शिक्षा, सामाजिक न्याय, सतत् विकास तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के आलोक में डॉ. अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक और मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

सामाजिक न्याय की स्थापना में शिक्षा की भूमिका

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के समग्र चिंतन का मूल उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान, स्वतंत्रता तथा न्याय प्राप्त हो। उनके अनुसार सामाजिक न्याय केवल संवैधानिक प्रावधानों या विधिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक स्वरूप तब साकार होता है जब समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षा, रोजगार, संसाधनों तथा विकास के अवसरों तक समान पहुँच प्राप्त करे। इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा को सामाजिक न्याय की स्थापना का सबसे प्रभावी एवं स्थायी माध्यम माना।

²¹ ओमवेट, गेल. अम्बेडकर : प्रबुद्ध भारत की ओर. नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 2012.

²² मून, वसंत (सम्पा.). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : लेखन एवं भाषण, खंड-5. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, 1990.

²³ कीर, धनंजय. डॉ. अम्बेडकर : जीवन और मिशन. नई दिल्ली, पॉपुलर प्रकाशन, 2019.

²⁴ शर्मा, रामनाथ. भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार. मेरठ, आर. लाल बुक डिपो, 2018.

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षित व्यक्ति सामाजिक शोषण, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, लैंगिक असमानता तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक समाज के वंचित, शोषित एवं उपेक्षित वर्ग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय की स्थापना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया और उनके लिए समान शैक्षिक अवसरों की आवश्यकता पर बल दिया।²⁵

डॉ. अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव भारतीय संविधान में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। समानता, शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान उनके इसी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की जो व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय उसकी योग्यता और क्षमता को महत्व दे। उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम है, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ती है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशन तथा लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला के रूप में स्थापित होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के विचार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण तथा विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई अथवा भौगोलिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह दृष्टिकोण डॉ. अम्बेडकर की समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा संबंधी अवधारणा के अत्यंत निकट है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में समान अवसर, समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, अनुभवात्मक अधिगम तथा आजीवन शिक्षा जैसे सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया है। ये सभी तत्व डॉ. अम्बेडकर के उस शैक्षिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हैं, जिसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक चेतना का निर्माण है।²⁶

नीति में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। छात्रवृत्तियाँ, समावेशी अधिगम, लैंगिक समावेशन, दिव्यांग-अनुकूल शिक्षा, डिजिटल पहुँच तथा क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा जैसी व्यवस्थाएँ शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह दृष्टिकोण डॉ. अम्बेडकर की उस मान्यता को प्रतिबिंबित करता है कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और यह सामाजिक न्याय की आधारशिला है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में संवैधानिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उत्तरदायी नागरिकता के विकास पर विशेष बल दिया गया है। ये सभी आयाम डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा-दर्शन के मूल तत्व हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, डॉ. अम्बेडकर

²⁵ जाटव, डी. आर. डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2015।

²⁶ रोज़िग्स, वैलेरियन (सम्पा.). डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : चयनित लेखन. नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008.

के समतामूलक, समावेशी तथा लोकतांत्रिक शिक्षा-दर्शन को समकालीन संदर्भ में व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास करती है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य

वर्तमान समय में भारत तीव्र सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसके बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच, डिजिटल विभाजन, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, लैंगिक विषमता, क्षेत्रीय असंतुलन, विद्यालय त्याग (ड्रॉपआउट), कौशल अंतराल तथा उच्च शिक्षा में समावेशन जैसी अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इन परिस्थितियों में डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधी विचार पहले की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।²⁷

आज के वैश्विक ज्ञान-आधारित समाज में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक सहभागिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा मानवीय मूल्यों के विकास का आधार बन चुकी है। डॉ. अम्बेडकर ने जिस शिक्षा की कल्पना की थी, वह समान अवसर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक नैतिकता तथा मानव गरिमा पर आधारित थी। यही कारण है कि उनके विचार वर्तमान शिक्षा सुधारों तथा समावेशी विकास की अवधारणाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।

डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल-आधारित अधिगम तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा से वंचित न रहे। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा अन्य वंचित समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना डॉ. अम्बेडकर के समय में था। उनका यह विश्वास कि "शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन और मानव मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन है", आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रासंगिक है।²⁸

अतः समकालीन भारत में सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा-दर्शन का पुनर्पाठ और उसका प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा आधुनिक भारत के सामाजिक, शैक्षिक एवं लोकतांत्रिक विकास की आधारशिला है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन या रोजगार प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम माना। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा संवैधानिक चेतना का विकास करती है, जिससे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बनता है। इस प्रकार शिक्षा उनके लिए सामाजिक परिवर्तन, मानव गरिमा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का मूल आधार थी।

²⁷ ओमवेट, गेल. अम्बेडकर : प्रबुद्ध भारत की ओर. नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 2012.

²⁸ मून, वसंत (सम्पा.). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : लेखन एवं भाषण, खंड-17. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, 2003।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर का शिक्षा-दर्शन सामाजिक न्याय, समान अवसर, समावेशिता तथा मानवाधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा को सामाजिक समानता स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन माना। उनका मानना था कि जब तक समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की स्थापना संभव नहीं है। यही कारण है कि उनके विचार भारतीय संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा न्याय के मूल्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनेक उद्देश्य जैसे समावेशी शिक्षा, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, बहुविषयक अधिगम, संवैधानिक मूल्यों का विकास तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा-दर्शन से पर्याप्त साम्य रखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके शैक्षिक विचार केवल ऐतिहासिक महत्व के नहीं हैं, बल्कि वर्तमान शिक्षा सुधारों और नीति-निर्माण के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

समकालीन भारत में डिजिटल विभाजन, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, लैंगिक विषमता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुँच तथा सामाजिक समावेशन जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा एक प्रभावी वैचारिक आधार प्रदान करती है। उनका शिक्षा-दर्शन यह संदेश देता है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, समान अवसर सुनिश्चित करे, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ बनाए तथा प्रत्येक नागरिक में संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक चेतना और मानवीय मूल्यों का विकास करे।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण के लिए एक सशक्त मार्गदर्शक सिद्धांत है। उनके विचार न केवल शैक्षिक नीति और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण की प्रेरणा भी देते हैं जहाँ समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानव गरिमा के संवैधानिक आदर्श वास्तविक जीवन में साकार हो सकें।

संदर्भ सूची

1. अम्बेडकर, भीमराव, (1936), जाति का विनाश (Annihilation of Caste), नई दिल्ली, नवयाना पब्लिशिंग (पुनर्मुद्रित संस्करण)।
2. अम्बेडकर, भीमराव, (1946), शूद्र कौन थे? (Who Were the Shudras), बंबई, ठाकर एंड कम्पनी लिमिटेड।
3. अम्बेडकर, भीमराव, (1948). अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने? (The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables). नई दिल्ली, अमृत बुक कम्पनी (पुनर्मुद्रित संस्करण)।
4. मून, वसंत (सम्पा.). (1979-2003), डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : लेखन एवं भाषण (Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches), खंड 1-17. मुंबई, महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग।
5. भारत सरकार. (1950), भारत का संविधान. नई दिल्ली, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
6. रोड्रिग्स, वैलेरियन (सम्पा.), (2008), डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : चयनित लेखन (हिन्दी संस्करण), नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

7. ओमवेट, गेल. (2012), अम्बेडकर : प्रबुद्ध भारत की ओर. नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।
8. जाटव, डी. आर. (2015), डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स।
9. शर्मा, रामनाथ. (2018), भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार. मेरठ, आर. लाल बुक डिपो।
10. शर्मा, रामनाथ. (2018), 'भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार'. मेरठ, आर. लाल बुक डिपो।
11. पाण्डेय, रामशकल. (2019), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार. आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
12. कीर, धनंजय, (2019), डॉ. अम्बेडकर : जीवन और मिशन (हिन्दी संस्करण). नई दिल्ली, पॉपुलर प्रकाशन।
13. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020. नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय।